



Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences Act, 2015

Act 41 of 2018

Keyword(s):

Employee, Fund, Regulations, Principal Secretary, Society, Teacher of Faculty-Member

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 12 सितम्बर, 2018

भाद्रपद 21, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1889/79-वि-1-18-1(क)-27-2015

लखनऊ, 12 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 पर दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 2015

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित, भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अनुसरण में विधान मण्डल द्वारा पुनः पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-यह अधिनियम डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 2015 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

2-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) 'बोर्ड' का तात्पर्य संस्थान के बोर्ड आफ गवर्नर्स से है;

(ख) 'निदेशक' का तात्पर्य धारा 14 के अन्तर्गत नियुक्त संस्थान के निदेशक से है;

(ग) 'कर्मचारी' का तात्पर्य संस्थान द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और उसमें अध्यापक, चिकित्सक अथवा संस्थान के कर्मचारिवर्ग का कोई अन्य सदस्य सम्मिलित है;

(घ) 'निधि' का तात्पर्य धारा 28 के अन्तर्गत अनुरक्षित संस्थान की निधि से है;

(ङ) 'संस्थान' का तात्पर्य धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से है;

(च) 'विहित' का तात्पर्य विनियमों द्वारा विहित से है;

(छ) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य धारा 12 में सन्दर्भित संस्थान के अध्यक्ष से है;

(ज) 'विनियमावली' का तात्पर्य धारा 34 के अन्तर्गत बनाये गये संस्थान के विनियमों से है;

(झ) 'सचिव/प्रमुख सचिव' का तात्पर्य उ0 प्र0 सरकार के सम्बन्धित विभाग में संस्थान के मामलों को व्यवहृत करने वाले सचिव/प्रमुख सचिव, जैसी स्थिति हो, से है;

(ञ) 'सोसाइटी' का तात्पर्य सोसाइटीज़ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज सोसाइटी, लखनऊ से है;

(ट) 'अध्यापक या संकाय-सदस्य' का तात्पर्य आचार्य, अपर आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य या संस्थान में शिक्षण, प्रशिक्षण अथवा शोध कार्य के निर्देशन या संचालन हेतु संस्थान द्वारा सेवायोजित या सहबद्ध किसी व्यक्ति से है जिनमें डीन तथा निदेशक सम्मिलित हैं।

अध्याय—दो

संस्थान

संस्थान की
स्थापना तथा
निगमन

3-(1) लखनऊ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदृश डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से एक संस्थान स्थापित किया जायेगा।

(2) संस्थान एक निगमित निकाय होगा और राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित एक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि पर और से,—

(क) लखनऊ स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान सोसाइटी विघटित हो जायेगी तथा सोसाइटी की समस्त सम्पत्ति—चल व अचल—अधिकार, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार तथा दायित्व एवं भार संस्थान को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेंगे;

(ख) सोसाइटी के किसी सांविधिक लिखत के सभी सन्दर्भ संस्थान के सन्दर्भ समझे जायेंगे;

(ग) इस अधिनियम के लागू होने के पहले अथवा बाद में बनाये गये या निष्पादित किये गये किसी विलेख या अन्य अभिलेख, जिसमें सोसाइटी के पक्ष में की गयी विरासत, उपहार अथवा धरोहर सम्मिलित है, को संस्थान के पक्ष में की गयी विरासत, उपहार अथवा धरोहर समझा जायेगा;

(घ) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि के पूर्व सोसाइटी में विधिवत सेवायोजित और इस रूप में अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि के ठीक पहले कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति उसी पदावधि और उन्हीं सेवा-शर्तों पर संस्थान का कर्मचारी हो जायेगा।

4-संस्थान लिंग, वंश, पंथ अथवा वर्ग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिये सुलभ रहेगा और संस्थान के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह संस्थान का अध्यापक की नियुक्ति हेतु अर्ह बनाने अथवा उसमें कोई अन्य पद धारित करने अथवा छात्र के रूप में संस्थान में प्रवेशित होने अथवा उसके विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने की पात्रता हेतु किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का परीक्षण धार्मिक विश्वास या व्यवसाय या राजनैतिक धारणा के अनुसार अंगीकृत अथवा अधिरोपित करे:

संस्थान सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिये होगा

परन्तु यह कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों/ नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए संस्थान में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार की विधियों एवं आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

5-संस्थान में निम्नलिखित होंगे :-

संस्थान की संरचना

- | | |
|--|--------------------|
| (क) श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन | -कुलाध्यक्ष (पदेन) |
| (ख) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन | -अध्यक्ष (पदेन) |
| (ग) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग | -उपाध्यक्ष (पदेन) |
| (घ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग,
अथवा उनका-निर्देशिनी | -सदस्य (पदेन) |
| (ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन विभाग,
अथवा उनका नाम-निर्देशिनी | -सदस्य (पदेन) |
| (च) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, न्याय विभाग,
अथवा उनका नाम-निर्देशिनी | -सदस्य (पदेन) |
| (छ) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश | -सदस्य (पदेन) |
| (ज) निदेशक | -सदस्य-सचिव (पदेन) |
| (झ) संस्थान का डीन | -सदस्य (पदेन) |
| (ञ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट चिकित्सा संस्थानों के प्रमुख/
आयुर्विज्ञान क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखने
वाले दो व्यक्ति | -सदस्य |
| (ट) कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट भारतीय विश्वविद्यालयों के चिकित्सा
संकायों अथवा संस्थानों के तीन प्रतिनिधि | -सदस्य |
| (ठ) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
का एक प्रतिनिधि | -सदस्य |
| (ड) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का एक प्रतिनिधि | -सदस्य |
| (ढ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि | -सदस्य |
| (ण) भारतीय नर्सिंग परिषद् का एक प्रतिनिधि | -सदस्य |
| (त) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो प्रख्यात शिक्षाविद् | -सदस्य |
| (थ) दो वरिष्ठतम विभागाध्यक्ष, प्रत्येक दो वर्षों के चक्रानुक्रम द्वारा | -सदस्य |

6-(1) अनुवर्ती उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि, नाम-निर्देशन के दिनांक से पाँच वर्ष होगी।

सदस्यों की पदावधि और रिक्तियाँ

(2) धारा 5 के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्य, जैसे ही अपने धारित पद जिसके फलस्वरूप वह वैसा सदस्य है, से हट जाता है, की पदावधि समाप्त हो जायेगी।

(3) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह पद जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है, धारित किये रहता है।

(4) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये नाम-निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उस सदस्य के जिसके स्थान पर वह नाम निर्दिष्ट हुआ है, की पदावधि की शेष अवधि तक होगी।

(5) बहिर्गामी सदस्य पुनः नाम-निर्देशन के लिये पात्र हो सकेगा।

(6) सदस्य-सचिव के माध्यम से अध्यक्ष को सम्बोधित स्व-हस्ताक्षरित पत्र द्वारा कोई सदस्य अपना पद-त्याग सकता है परन्तु वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्याग-पत्र स्वीकार न कर लिया जाये।

(7) सदस्यों की रिक्तियों के भरे जाने की रीति ऐसी होगी, जैसी विहित की जाये।

संस्थान की बैठक

7-(1) संस्थान की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी, जैसा अध्यक्ष समय-समय पर अवधारित करे।

(2) ऐसी बैठक में कार्य-सम्पादन की रीति वही होगी जैसी विहित की जाये:

परन्तु यह कि संस्थान की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

संस्थान के उद्देश्य

8-संस्थान के निम्न उद्देश्य होंगे:-

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदृश चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में तथा विशिष्टियों, अति-विशिष्टियों और ऐसे अन्य विषयों के लिये जिनका भविष्य में आविर्भाव हो, चिकित्सा परिचर्या, शिक्षा और उच्च स्तरीय शोध सुविधाओं की, जिसके अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा को जारी रखना भी है, व्यवस्था करने के लिए एक उत्कृष्ट केन्द्र का सृजन करना;

(ख) वर्तमान संस्थाओं को उन्नत करके बहुदेशीय विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट चिकित्सालयों एवं अभिघात केन्द्रों की व्यवस्था करना तथा उन्हें उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में स्थापित करना और उनमें मरीजों के उपचार की व्यवस्था करना;

(ग) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत अवर-स्नातक, परा-स्नातक, डाक्टरल तथा पोस्ट-डाक्टरल चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षण एवं प्रशिक्षण एवं अति विशिष्ट विषयों में शोध में उत्कृष्टता विकसित करना ताकि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय मानक स्थापित हो सकें;

(घ) परा-चिकित्सा मानव संसाधन हेतु प्रशिक्षण केन्द्र एवं सुविधायें विकसित करना;

(ङ) अभिनव चिकित्सा एवं सहवर्ती विशिष्टताओं तथा उप-विशिष्टताओं को व्यवहृत करने हेतु विशेषीकृत एवं विशिष्ट विभागों की स्थापना करना।

संस्थान की शक्तियाँ एवं कृत्य

9-(1) संस्थान की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे:-

(क) अवर-स्नातक, परा-स्नातक तथा औषधि एवं सहवर्ती विज्ञान की अति-विशिष्ट शाखाओं में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा इन क्षेत्रों में अनुसंधान एवं ज्ञान की ऐसी शाखाओं के उन्नयन एवं अभिवृद्धि हेतु व्यवस्था करना;

(ख) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र एवं अन्य शैक्षिक विशिष्टियाँ संस्थित एवं प्रदान करना;

(ग) अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देना, परीक्षाओं या परीक्षण का संचालन तथा उस हेतु शर्तों का निर्धारण करना;

(घ) ऐसे व्यक्तियों को उपाधियाँ डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टियाँ प्रदान करने हेतु परीक्षा आयोजित करना जिन्होंने,-

(एक) किसी अध्ययन-पाठ्यक्रम का अनुगमन किया हो;

(दो) संस्थान में शोध किया हो;

(ङ) मानद उपाधि तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना;

(च) विनियमों के अनुसार छात्रवृत्तियाँ, अध्येयतावृत्तियाँ (यात्रा-वृत्तियों को सम्मिलित करते हुये) विद्यावृत्तियाँ, वृत्तियाँ, पदक और पारितोषिक संस्थित करना एवं उन्हें प्रदान करना;

(छ) संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु शिक्षण एवं शोध केन्द्रों, चिकित्सालयों, ग्रामीण एवं शहरी केन्द्रों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय तथा अन्य मदों की स्थापना, अनुरक्षण एवं संचालन करना;

(ज) फीस तथा अन्य प्रभारों का निर्धारण एवं उन्हें वसूल करना;

(झ) शैक्षणिक, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय, प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक पदों को अपेक्षानुसार सृजित करना तथा उन पर नियुक्ति करना;

- (ज) शोध एवं अन्य गुणवत्तापरक कार्यों के प्रकाशन की व्यवस्था करना;
- (ट) अपने चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों के चिकित्सा एवं उपचार की व्यवस्था करना;
- (ठ) द्वितीयक एवं तृतीयक चिकित्सालय के रूप में कार्य करना;
- (ड) जो सम्पत्ति संस्थान की है या उसमें निहित है, उसकी व्यवस्था किसी ऐसी रीति से करना जो इसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हो;
- (ढ) अन्य संस्थानों के साथ सहकार्य या सहयोग करना जो मरीजों की देखभाल, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं परा-चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान हेतु आवश्यक हो;
- (ण) संस्थान के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु अपेक्षित अन्य कार्य करना:
- परन्तु यह कि संस्थान—

(एक) राज्य सरकार की पूर्ण स्वीकृति के सिवाय, संस्थान की किसी अचल सम्पत्ति को बन्धक, विक्रय, विनिमय, उपहार अथवा अन्य प्रकार से अन्तर्गत नहीं करेगा;

(दो) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय अथवा राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के बिना संस्थान में किसी पद का सृजन नहीं करेगा।

(2) संस्थान के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते वही होंगे जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायें।

अध्याय—तीन

संस्थान के अधिकारी

10—संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्—

- (क) कुलाध्यक्ष;
- (ख) संस्थान का अध्यक्ष;
- (ग) संस्थान का उपाध्यक्ष;
- (घ) निदेशक;
- (ङ) संस्थान का डीन;
- (च) वित्त अधिकारी;
- (छ) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें विनियमों द्वारा घोषित किया जाये।

संस्थान के
अधिकारी

11—(1) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल संस्थान के कुलाध्यक्ष होंगे।

कुलाध्यक्ष

(2) कुलाध्यक्ष अपनी पदीय हैसियत से संस्थान का प्रधान होगा और जब उपस्थित हो, संस्थान के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) मानद उपाधि अथवा विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष द्वारा पुष्टि किये जाने के अधीन होगा।

(4) कुलाध्यक्ष प्रति पाँच वर्ष के पश्चात् संस्थान की प्रगति की समीक्षा ऐसी रीति से करायेंगे जैसा वह उचित समझें।

(5) संस्थान की प्रगति की समीक्षा करने पर कुलाध्यक्ष, राज्य सरकार को धारा 41 के अधीन कार्यवाही करने के लिये निर्देश दे सकते हैं या, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे निर्देश दे सकते हैं जो वह आवश्यक समझें, और संस्थान ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

(6) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किन्तु धारा 42 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलाध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा संस्थान की किसी ऐसी कार्यवाही को निष्प्रभावी कर सकते हैं जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुकूल न हो :

परन्तु कोई ऐसा आदेश देने के पूर्व वे संस्थान से कारण बताने को कहेंगे कि क्यों न ऐसा आदेश दिया जाय और यदि कोई कारण ऐसे युक्तिसंगत समय के भीतर दर्शित किया जाये जिसकी अनुमति इस निमित्त दी गयी हो तो वह उस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष की शक्तियाँ

12—(1) उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव, संस्थान का अध्यक्ष होगा और वह शासी निकाय का सभापति भी होगा। संस्थान की बैठकें अध्यक्ष के निदेश के अनुसार बुलाई जायेंगी।

(2) अध्यक्ष संस्थान की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कृत्य निम्नवत् होंगे :-

(क) यह सुनिश्चित करना कि संस्थान के कार्यों का प्रशासन इस अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार संचालित हो रहा है और ऐसे कदम उठाना, जैसा वह उचित समझे;

(ख) संस्थान के कार्यों के प्रशासन से सम्बन्धित सूचनाओं एवं अभिलेखों को मंगाना;

(ग) बैठक के पहले अथवा उसके दौरान किसी भी समय कार्यसूची में कार्य की नयी मर्दों या पूर्व से सम्मिलित विचारणीय कार्यसूची में अनुपूरक मर्दों को सम्मिलित करना;

(घ) अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना अथवा ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना, जैसे विहित किये जायें।

(4) अध्यक्ष अपनी किसी शक्ति को उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकता है।

उपाध्यक्ष

13—(1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन संस्थान के पदेन उपाध्यक्ष होंगे।

(2) संस्थान की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा, जैसे विहित किये जायें।

निदेशक

14—(1) निदेशक की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा समिति की संस्तुति पर की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(क) संस्थान का अध्यक्ष;

(ख) संस्थान का उपाध्यक्ष;

(ग) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण;

(घ) कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी चिकित्सा संस्थान अथवा चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रधान से अन्यून पंक्ति के चिकित्सा क्षेत्र के दो विशेषज्ञ।

(2) (क) निदेशक पद पर नियुक्ति हेतु केवल ऐसा व्यक्ति अर्ह होगा जिसने बासठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

(ख) निदेशक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के लिये अथवा पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, पदधारण करेगा।

(ग) निदेशक द्वितीय पदावधि अथवा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त किया जा सकता है:

परन्तु यह कि निदेशक, कुलाध्यक्ष को सम्बोधित स्व-लिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है एवं कुलाध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लेने के पश्चात् वह अपने पद से विरत हो जायेगा।

(3) पदावधि की समाप्ति अथवा उपधारा (2) के खण्ड (ग) के परन्तुक के अधीन पद-त्याग के कारण, निदेशक के पद में होने वाली रिक्ति के दिनांक से, यथाशक्य, कम से कम साठ दिन पूर्व, और जब कभी भी ऐसी अपेक्षा की जाये और उस दिनांक के पूर्व जैसा कुलाध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, समिति कुलाध्यक्ष को निदेशक पद हेतु कम से कम तीन ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी। समिति कुलाध्यक्ष को नाम प्रस्तुत करते समय संस्तुत व्यक्तियों में से प्रत्येक की अर्हताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी, किन्तु वह उनमें कोई अधिमान-क्रम उपदर्शित नहीं करेगी।

(4) जहाँ कुलाध्यक्ष समिति द्वारा संस्तुत व्यक्तियों में से किसी एक या एकाधिक व्यक्ति को निदेशक नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझता है, अथवा संस्तुत व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हों और निदेशक का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जायें, तो वह समिति से उपधारा (3) के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(5) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के कार्यवाही में भाग लेने के कारण जिसे बाद में अपात्र पाया गया हो, अविधिमान्य नहीं मानी जायेगी।

(6) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने का एक मात्र निर्णायक स्वयं कुलाध्यक्ष होगा) वह किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः माह से अनधिक पदावधि के लिये, जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, निदेशक के पद पर नियुक्ति कर सकेगा, -

(क) जहाँ निदेशक का पद रिक्त हो जाये और उसे उप-धारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधापूर्वक तथा शीघ्रता से भरा जाना सम्भव न हो।

(ख) किसी अन्य आपात् स्थिति में।

(7) निदेशक की अनुपस्थिति में संस्थान का ज्येष्ठतम आचार्य निदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(8) इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन रहते हुए, निदेशक की परिलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(9) यदि कुलाध्यक्ष की राय में निदेशक जान-बूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है अथवा कार्यान्वित करने से इंकार करता है अथवा अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है अथवा यदि कुलाध्यक्ष को अन्यथा यह प्रतीत हो कि निदेशक का पद पर बना रहना संस्थान के लिए अहितकर है, तो कुलाध्यक्ष ऐसी जाँच कराने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा निदेशक को हटा सकता है।

15-(1) निदेशक संस्थान का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेशक,-

(क) संस्थान के कार्य-कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा;

(ख) संस्थान के प्राधिकारियों के निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा;

(ग) संस्थान में शिक्षण कार्यों के सम्पादन तथा अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) ऐसे उद्देश्यों, जो संस्थान के हित में आवश्यक हों, के लिए बोर्ड के अनुमोदन से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए किसी व्यक्ति को आबद्ध कर सकेगा।

(3) जहाँ कोई मामला आत्ययिक प्रकृति का है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त संस्थान के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो निदेशक ऐसी कार्यवाही कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह अध्यक्ष तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा, जो सामान्य क्रम में मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते:

परन्तु यह कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी, तो वह मामला अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकेगा, जो या तो निदेशक द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा अथवा उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा, जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी:

परन्तु यह और कि पूर्वोक्त परन्तुक में सन्दर्भित ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से निदेशक के आदेश द्वारा या उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा

निदेशक की शक्तियाँ एवं कृत्य

(4) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे संस्थान अथवा अध्यक्ष अथवा बोर्ड या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा सौंपे जायें।

(5) निदेशक संस्थान से सम्बन्धित सभी मामलों के संचालन तथा प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी होगा।

डीन

16-(1) संस्थान का एक डीन होगा जो बोर्ड द्वारा संस्थान के वरिष्ठ आचार्यों में से नियुक्त किया जायेगा और तीन वर्ष तक कार्यरत रहेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा।

(2) डीन संस्थान के शैक्षिक मामलों में संस्थान के निदेशक की सहायता करेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसे विहित किये जायें।

वित्त अधिकारी

17-(1) संस्थान में एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी आय-व्ययक प्रस्तुत करने तथा लेखे का विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा तथा संस्थान की ओर से निधियों के आहरण एवं वितरण के उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करेगा।

(3) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) यह सुनिश्चित करना कि संस्थान द्वारा कोई ऐसा व्यय उपगत न किया जाये जो आय-व्ययक में प्राधिकृत न किया गया हो;

(ख) इस अधिनियम तथा विनियमों के प्राविधानों का उल्लंघन करने वाले प्रस्तावित व्ययों को नामंजूर करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाये और लेखा-परीक्षा के दौरान उपदर्शित अथवा अन्यथा दृष्टिगत किसी अनियमितता को ठीक करने के लिए कार्यवाही की जाय;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि संस्थान की परिसंपत्ति तथा विनियमों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्धन हो;

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जैसे विहित किये जायें।

(4) वित्त अधिकारी की पहुँच संस्थान के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने और उसके कार्य-कलापों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(5) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

अध्याय-चार

संस्थान के प्राधिकारी

संस्थान के प्राधिकारी

18-संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:-

(क) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स;

(ख) विद्या परिषद्;

(ग) वित्त समिति;

(घ) नैतिक समिति;

(ङ) प्रवेश समिति;

(च) परीक्षा समिति;

(छ) चयन समिति;

(ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें विनियमों द्वारा संस्थान का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स

19-(1) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स संस्थान का मुख्य शासी निकाय होगा और उसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन - सभापति (पदेन)

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग - उप सभापति (पदेन)

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग - सदस्य (पदेन)

(घ) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश	—	सदस्य (पदेन)
(ङ) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश	—	सदस्य (पदेन)
(च) निदेशक	—	सदस्य—सचिव (पदेन)
(छ) संस्थान का डीन	—	सदस्य (पदेन)
(ज) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	—	सदस्य (पदेन)
(झ) कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट राज्य या राज्य के बाहर के चिकित्सा क्षेत्र के संस्थान के प्रधान से अन्यन दो प्रख्यात व्यक्ति	—	सदस्य (पदेन)
(ञ) निदेशक द्वारा नाम-निर्दिष्ट संस्थान में आचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत दो व्यक्ति, चक्रानुक्रम द्वारा वरिष्ठता के आधार पर	—	सदस्य (पदेन)

(2) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह अपना पद, जिसके फलस्वरूप वह सदस्य है, धारित किये रहता है।

(3) खण्ड (झ) एवं (ञ) के अन्तर्गत नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि नाम-निर्देशन की तिथि से दो वर्ष के लिये होगी।

(4) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति हेतु नाम-निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उस सदस्य, जिसके स्थान पर उसका नाम-निर्देशन हुआ है, की अवशेष अवधि तक जारी रहेगी।

(5) बोर्ड की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित स्थान एवं समय पर होगी।

(6) किसी बैठक या अन्य उद्देश्यों या अपनी शक्तियों के प्रयोग अथवा कृत्यों के निष्पादन के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अपने कार्यकलापों के संव्यवहार हेतु ऐसी प्रक्रिया अपनायी जाये जैसी विहित की जाय।

(7) ऐसे नियन्त्रण और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जैसे विहित किये जाय, बोर्ड इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी शक्ति का प्रयोग अथवा किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए ऐसी समितियों का, जिन्हें वह उचित समझे, गठन कर सकता है।

20—(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बोर्ड संस्थान के कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिये उत्तरदायी होगा। बोर्ड के कृत्य

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड—

(क) संस्थान के कार्य-प्रशासन और कार्य-प्रणाली से सम्बन्धित नीतिगत मामलों में संस्थान के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही करेगा;

(ख) संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रम संस्थित करेगा और विद्या परिषद् की सलाह पर सभी शैक्षणिक विषयों पर, जिसके अन्तर्गत संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी है, निर्णय लेगा;

(ग) संस्थान की सम्पत्ति और निधि का धारण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा;

(घ) संस्थान की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन कर सकता है;

(ङ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संस्थान के निवर्तन पर रखी गयी किसी निधि का प्रबंध करना;

(च) संस्थान के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का पद सृजित या समाप्त कर सकेगा;

(छ) संस्थान के वित्त, लेखा, विनिधान, सम्पत्ति, व्यवसाय और अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों का प्रबन्धन और विनियमन कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है जिसे वह उचित समझे;

(ज) संस्थान के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत न्यास और विन्यासित सम्पत्ति से कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधि, शेयर या प्रतिभूतियों में, जिसे वह समय-समय पर उचित समझे, विनिधानित कर सकता है;

(झ) संस्थान की ओर से संविदा कर सकता है, उसे परिवर्तित, कार्यान्वित और निरस्त कर सकता है;

(ञ) संस्थान के हित में अन्य ऐसे मामलों में निर्णय ले सकता है जो इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों से असंगत न हों।

विद्या परिषद्

21-(1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित होंगे:-

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| (एक) निदेशक | - सभापति |
| (दो) संस्थान का डीन | - सदस्य सचिव |
| (तीन) सभी शैक्षिक विभागों के अध्यक्ष | - सदस्य |

(2) विद्या परिषद् निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी:-

(क) विभिन्न विभागों के लिये अध्ययन-पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-विवरण तैयार करना तथा उन्हें परिवर्तित करना;

(ख) परीक्षा संचालित करने के लिये व्यवस्था करना;

(ग) विभाग के कार्यों से सम्बन्धित शैक्षिक मामलों पर संस्तुतियाँ देने के लिए विभाग के लिए परामर्शी समिति या विशेषज्ञ समिति या दोनों नियुक्त करना और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष ऐसी समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेगा;

(घ) ऐसे विशिष्ट मामलों पर जैसे विद्या परिषद् द्वारा ऐसी उप समिति को निर्दिष्ट किये जायं, विद्या परिषद् के सदस्यों, संस्थान के अन्य अध्यापकों तथा वाह्य विशेषज्ञों में से उपसमिति नियुक्त करना;

(ङ.) परामर्शदात्री समिति, विशेषज्ञ समिति तथा अन्य उप समितियों द्वारा दी गई संस्तुतियों पर विचार करना तथा आवश्यकतानुसार प्रत्येक मामलों की परिस्थितियों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बोर्ड को अपनी उपयुक्त संस्तुतियाँ प्रेषित करना;

(च) विभागों के कार्य-कलापों की आवधिक संवीक्षा करना तथा यदि आवश्यक हो तो, अपनी संस्तुतियाँ बोर्ड को प्रस्तुत करना;

(छ) पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं तथा चिकित्सालयों आदि के कार्यों पर परामर्श देना;

(ज) संस्थान के अन्दर शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा ऐसे शोध कार्यों से सम्बद्ध व्यक्तियों से रिपोर्ट प्राप्त करना;

(झ) शैक्षिक स्टाफ द्वारा किये जाने वाले परामर्शी कार्यों के सम्बन्ध में अनुसरण की जा रही सामान्य नीतियों पर परामर्श देना;

(ञ) कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय तथा उनके विषयों के निरीक्षण का प्राविधान करना तथा बोर्ड को उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ट) अवार्ड से जुड़ी शर्तों के अनुसार वृत्तियाँ, विद्या-वृत्तियाँ, छात्रवृत्ति, शुल्क-मुक्ति, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करना।

(3) विद्या परिषद् आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें करेगी परन्तु एक कैलेन्डर वर्ष में कम से कम दो बार बैठक अवश्य करेगी।

(4) विद्या परिषद् की बैठक सदस्य सचिव द्वारा या तो स्वयं की पहल पर अथवा निदेशक के निर्देश पर अथवा विद्या परिषद् के कम से कम पाँच सदस्यों के हस्ताक्षरों से की गई माँग पर आहूत की जायेगी।

(5) विद्या परिषद् के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से गणपूर्ति होगी।

(6) सदस्य-सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक की कार्यसूची के साथ लिखित सूचना विद्या परिषद् के प्रत्येक सदस्य को बैठक की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व परिचालित की जायेगी। विद्या परिषद् का सभापति ऐसी कार्यसूची में ऐसा कोई प्रकरण सम्मिलित किये जाने की अनुमति दे सकता है जिसकी सम्यक् सूचना नहीं दी जा सकती थी।

(7) उपधारा (6) में किसी बात के होते हुये भी अत्यावश्यक तथा विशिष्ट मदों पर विचार हेतु सभापति अल्पकालिक सूचना देकर विद्या परिषद् की बैठक को आहूत कर सकता है।

(8) सभी प्रकरणों में सभापति का निर्णय अन्तिम होगा।

(9) विद्या परिषद् की बैठकों का कार्यवृत्त सदस्य सचिव द्वारा तैयार किया जायेगा तथा उसे उपस्थित सभी सदस्यों के मध्य परिचालित किया जायेगा।

22-(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:-

वित्त समिति

- (क) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग —सभापति
 (ख) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव पद से न्यून न हो —सदस्य
 (ग) निदेशक —सदस्य
 (घ) संस्थान का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक —सदस्य
 (ङ) वित्त अधिकारी —सदस्य सचिव

(2) वित्त समिति बोर्ड को, संस्थान की परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन तथा विभिन्न निधियों से होने वाले आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों से सम्बन्धित विषयों पर आगामी वित्तीय वर्ष में संस्थान की आय तथा संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में सैद्धान्तिक सीमाओं के अनुरूप परामर्श देगा।

(3) वित्त समिति में ऐसी अन्य शक्तियाँ एवं कृत्य निहित होंगे, जैसी विहित की जायं।

23-(1) संस्थान में एक नैतिक समिति होगी जो संस्थान, सम्बद्ध चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों का सुचारू संचालन तथा मरीजों की समुचित देखभाल सुनिश्चित करेगी।

नैतिक समिति

(2) नैतिक समिति के गठन का स्वरूप, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसे विहित किये जायं।

24-प्रवेश समिति, परीक्षा समिति तथा संस्थान के अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे जो विहित किये जायं।

अन्य प्राधिकारी

अध्याय—पाँच

संस्थान के कर्मचारिवर्ग

25-(1) संस्थान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथास्वीकृत कर्मचारियों के पदों की संख्या के अनुसार नियुक्तियां करेगा। संस्थान के कर्मचारियों के निबन्धन एवं सेवा-शर्तें वही होंगी जैसी विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित की जायं।

संस्थान के कर्मचारिवर्ग

(2) संस्थान के हित में अर्ह सरकारी सेवक प्रतिनियुक्त अथवा सेवा स्थानांतरण के आधार पर शासकीय शर्तों एवं मानकों के अनुसार नियुक्त किये जा सकते हैं।

(3) बोर्ड, जैसा वह उचित समझे, शासन के अनुमोदन से समय-समय पर पदों को सृजित अथवा समाप्त कर सकता है। फिलहाल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से अनुरूपता बनाये रखी जायेगी।

26-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, अध्यक्ष द्वारा ऐसी संख्या में आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों तथा समूह 'क' के अधिकारियों की नियुक्ति, जितनी आवश्यक हों तथा निदेशक द्वारा ऐसी संख्या में समूह 'ख' के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियाँ की जायेंगी, जितनी आवश्यक हों।

अध्यापक तथा अन्य कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति एवं प्रोन्नति

(2) उपधारा (1) में यथा-उपबन्धित के सिवाय, संस्थान में अध्यापकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियाँ, ऐसी रीति से और ऐसे पदनामों एवं वेतनमानों में की जायेंगी जो विहित की जायं।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान में नियुक्त कर्मचारियों को ऐसे वेतन एवं भत्ते अनुमन्य होंगे और वे ऐसी सेवा-शर्तों से शासित होंगे जो विहित किये जायं।

(4) कोई व्यक्ति संस्थान में अध्यापक के पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद् अथवा किसी अन्य केन्द्रीय/राज्य विनियामक निकाय और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विनियमों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा इस हेतु विहित अर्हतायें धारित न करता हो और इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा संस्तुत न हो।

(5) (क) संस्थान में आचार्य तथा सह-आचार्य की नियुक्ति अथवा प्रोन्नति हेतु चयन समिति निम्न प्रकार से गठित होगी:-

- (एक) निदेशक, जो चयन समिति का सभापति होगा;
- (दो) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश;
- (तीन) संस्थान का डीन;
- (चार) अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ;
- (पाँच) ऐसे अन्य व्यक्ति जो विहित किये जाएं।

(ख) संस्थान के सहायक आचार्य तथा अन्य अध्यापकों की नियुक्ति अथवा प्रोन्नति हेतु चयन समिति निम्न प्रकार से गठित होगी:-

- (एक) संस्थान का निदेशक, जो चयन समिति का सभापति होगा;
- (दो) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश;
- (तीन) संस्थान का डीन;
- (चार) अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो विशेषज्ञ;
- (पाँच) ऐसे अन्य व्यक्ति जो विहित किये जाएं।

(6) इस धारा के अन्तर्गत गठित चयन समिति उन सभी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जैसी विहित की जायें।

(7) चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियाँ विधिमान्य नहीं समझी जायेंगी जब तक कि वे उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित न हों:

परन्तु यह कि उपधारा (5) के खण्ड (क) के अन्तर्गत गठित चयन समिति में कम से कम दो विशेषज्ञों की उपस्थिति तथा उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत गठित चयन समिति में कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(8) जब चयन समिति उपधारा (7) के प्राविधानों के अनुसार संस्तुतियाँ देने में असमर्थ रहती है तो चयन समिति का कार्यवृत्त अध्यक्ष को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा और अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

(9) जब चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियाँ नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य न हों तो वह संस्तुतियों पर आपत्ति के आधारों का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त विवरण के साथ सम्पूर्ण मामले को अध्यक्ष को सन्दर्भित करेगा और उस पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा:

परन्तु यह कि अध्यक्ष के लिए चयन समिति को पुनर्विचार हेतु मामला सन्दर्भित कर देना अथवा उस पर विचार करने हेतु दूसरी चयन समिति गठित करने की अपेक्षा करना विधिसम्मत होगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनार्थ समूह 'क' तथा समूह 'ख' के अन्तर्गत ऐसी श्रेणी के अधिकारी होंगे जिन्हें विनियमों में इस रूप में निर्दिष्ट अथवा पदनामित पदाभिहित किया गया हो।

अध्याय-छः

वित्त एवं संपरीक्षा

राज्य द्वारा
सहायता
अनुदान

27-अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान के कृत्यों के प्रभावी सम्पादन हेतु राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इस निमित्त विधितः राज्य विधान मण्डल का सम्यक् विनियोग प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी धनराशि और ऐसी रीति से, जैसा वह उचित समझे, संस्थान को प्रदान कर सकेगी।

संस्थान की
निधि

28-(1) संस्थान एक निधि अनुरक्षित करेगा जिसमें निम्नलिखित जमा की जायेगी:-

- (क) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी धनराशि;
- (ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस व अन्य प्रभार;
- (ग) किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धनराशि।

(2) निधि में जमा की गई सभी धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की जायेगी तथा उसका निवेश ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा संस्थान राज्य सरकार के अनुमोदन से विनिश्चित करे।

(3) निधि का उपयोग संस्थान के व्ययों को पूरा करने के लिये किया जायेगा जिसके अन्तर्गत धारा 9 के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी हैं।

29—(1) प्रतिवर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, एक आय-व्ययक तैयार किया जायेगा जिसमें संस्थान की अनुमानित आय और व्यय उपदर्शित किया जायेगा और उसे ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, राज्य सरकार को अग्रसारित किया जायेगा।

संस्थान का
आय-व्ययक

(2) बोर्ड ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा दिये जायें और आय-व्ययक अन्तिम रूप से अनुमोदित करेगा।

(3) संस्थान के लिये यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि कोई ऐसा व्यय करे जो आय-व्ययक में स्वीकृत न हो या आय-व्ययक की स्वीकृति के पश्चात् संस्थान को जो निधि राज्य सरकार, भारत सरकार या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या प्रतिष्ठान या किसी अन्य अभिकरण के अनुदान से प्राप्त हो, उसके सम्बन्ध में उस अनुदान की शर्तों के अनुसार न हो:

परन्तु यह कि भारत सरकार और राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त निधि संस्थान द्वारा तभी प्राप्त की जायेगी जब विधि के अन्तर्गत अपेक्षित आवश्यक निर्वाधन प्राप्त हो जायें:

परन्तु यह और कि आकस्मिक या अप्रत्याशित परिस्थितियों में पच्चीस हजार रुपये से अनधिक ऐसा अनावर्तक व्यय जो बजट में स्वीकृत न हो, निदेशक द्वारा किया जा सकता है और वह ऐसे सभी व्ययों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को तुरन्त सूचना देगा।

30—(1) संस्थान समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्रपत्र में जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, वार्षिक लेखा-विवरण पत्र जिसके अन्तर्गत तुलन-पत्र भी है, तैयार करायेगा।

वार्षिक लेखे
और
तुलन-पत्र

(2) वार्षिक लेखा विवरण पत्र और तुलन-पत्र की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसकी लेखा-संपरीक्षा करायेगी।

31—संस्थान प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसे ऐसी तिथि के पूर्व, जैसा विहित किया जाये, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे प्रतिवेदन की प्रति राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

वार्षिक
प्रतिवेदन

32—संस्थान अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये भविष्य निधि एवं सेवा-निवृत्तिक लाभ स्थापित करेगा।

भविष्य निधि
एवं
सेवा-निवृत्तिक
लाभ
अधिभार

33—(1) संस्थान, बोर्ड, किसी प्राधिकारी या संस्थान के अन्य निकाय का कोई सदस्य या यथार्थि, संस्थान का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी संस्थान के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के लिये अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग उसकी उपेक्षा या कदाचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार आरोपित करने की प्रक्रिया और ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

अध्याय—सात

विनियम

34—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, संस्थान राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी विषय की व्यवस्था करने के लिये, जिसे विनियमों द्वारा किया जाना है या किया जा सकता है, विनियम बना सकती है और ऐसी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:—

विनियम
बनाने की
शक्ति

(क) संस्थान की प्रथम बैठक से भिन्न, बैठकों का आयोजन और उसे सम्पन्न करना और ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्यों की संख्या;

(ख) इस अधिनियम के अधीन गठित किये जाने वाला बोर्ड, या किसी समिति या अन्य निकाय के गठन से सम्बन्धित कोई विषय;

(ग) संस्थान के अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ और निर्वहन किये जाने वाले कृत्य;

(घ) बोर्ड और इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति या अन्य निकाय के सभापति और सदस्यों को भुगतान किया जाने वाला भत्ता, यदि कोई हो;

(ङ) बोर्ड और इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अन्य प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा अपने कार्य संचालन, अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(च) संस्थान अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की पदावधि, परिलब्धियाँ और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(छ) संस्थान के निदेशक तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य;

(ज) संस्थान की सम्पत्तियों का प्रबन्धन;

(झ) उपाधि, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें और उपाधियाँ जो संस्थान द्वारा प्रदान की जा सकती हैं;

(ञ) संस्थान के अध्यापकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदों का सृजन एवं ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति जिसके अन्तर्गत इन पदों हेतु अपेक्षित न्यूनतम अर्हतायें भी सम्मिलित हैं;

(ट) फीस और अन्य प्रभार जिसकी संस्थान द्वारा माँग की जाये और उसे प्राप्त किया जाये,

(ठ) रीति जिसके अनुसार और शर्तें जिनके अधीन, संस्थान के कर्मचारियों के लाभ के लिये भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों का गठन किया जा सकता है,

(ड) कोई अन्य विषय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन अथवा विनियमों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रथम विनियमावली राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से बनाई जायेगी:

परन्तु यह कि जब तक उक्तवत् विनियमावली नहीं बना ली जाती, तब तक इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रभावी सोसाइटी की उपविधियाँ, साथ ही ऐसे मामलों में जहाँ उक्त उपविधियाँ मूक हैं वहाँ, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की विनियमावली आवश्यक परिवर्तनों के साथ संस्थान पर उस सीमा तक प्रभावी रहेंगे, जहाँ तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों।

(3) संस्थान की पूर्वानुमति से बोर्ड उपधारा (2) में सन्दर्भित विनियमावली के अन्तर्गत नया या अतिरिक्त विनियम बना सकता है अथवा उसमें संशोधन अथवा उनका विखण्डन कर सकता है।

अध्याय—आठ

विविध

आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणीकरण

35—संस्थान के समस्त आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणीकरण निदेशक या संस्थान द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जायगा और सम्बन्धित प्राधिकारी अथवा समिति अथवा संस्थान के अन्य निकायों की बैठक की कार्यवाही का अधिप्रमाणीकरण उसके सभापति तथा सदस्य सचिव के हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

रिक्तियों आदि के कारण कार्य और कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होंगी

36—संस्थान या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति द्वारा कृत किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि संस्थान, प्राधिकारी या ऐसी समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी।

उपाधि एवं डिप्लोमा आदि प्रदान करना

37—संस्थान को इस अधिनियम के अधीन डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें एवं पदवी प्रदान करने की शक्ति होंगी।

उपाधि एवं डिप्लोमा का वापस लिया जाना

38—यदि कोई व्यक्ति किसी विधि न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें बोर्ड की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो अथवा वह गम्भीर कदाचार का दोषी पाया गया हो तो, बोर्ड, विद्या परिषद् की संस्तुति पर, बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित विनिश्चय द्वारा उस व्यक्ति को प्रदत्त विशिष्टियाँ, डिग्री, डिप्लोमा अथवा विशेषाधिकार को वापस ले सकता है।

संस्थान द्वारा प्रदत्त चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता

39—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संस्थान द्वारा प्रदत्त डिग्री, डिप्लोमा एवं अन्य विशिष्टतायें उक्त अधिनियम एवं अन्य विधियों के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त अर्हता मानी जायेंगी।

राज्य सरकार की निर्देश देने की शक्ति

40—राज्य सरकार समय-समय पर संस्थान को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों व जैसा वह इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक एवं उपयुक्त समझे। संस्थान द्वारा ऐसे निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

41-(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निदेश दे, संस्थान के, जिसके अन्तर्गत उसका भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी हैं और संस्थान द्वारा संचालित या आयोजित परीक्षा, अध्यापन कार्य और अन्य कार्य का निरीक्षण कराने या संस्थान के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

राज्य सरकार की निरीक्षण कराने की शक्ति

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, वहां वह उसकी सूचना निदेशक के माध्यम से संस्थान को देगी और शासी बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रह सकता है और इस रूप में उसका अधिकार होगा कि उसकी सुनवाई की जाय।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित होने के लिये बाध्य करने और दस्तावेज और महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रस्तुत करने के लिये विवश करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उनके समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार निदेशक को ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के सन्दर्भ में पत्र भेजेगी और निदेशक बोर्ड को राज्य सरकार के दृष्टिकोणों को ऐसे परामर्श के साथ जिसे राज्य सरकार इस पर की जाने वाली कार्यवाही के लिये प्रस्तावित करे, संसूचित करेगा।

(5) निदेशक ऐसे समय के भीतर जैसा राज्य सरकार नियत करे, बोर्ड द्वारा की गयी कार्यवाही या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि संस्थान के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करे तो राज्य सरकार किसी स्पष्टीकरण पर जो ऐसे प्राधिकारी प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे, और संस्थान के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे।

(7) राज्य सरकार अध्यक्ष को उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जांच की रिपोर्ट की और उपधारा (5) के अधीन निदेशक से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन दिये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेशों के पालन या अपालन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट की भी एक प्रति सूचना के लिये भेजेगी।

42-यदि कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति संस्थान, शासी निकाय, संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य है या नहीं, या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं, या संस्थान, शासी निकाय या संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई विनिश्चय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा:

कुलाध्यक्ष को निर्देश

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश उस दिनांक से जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक होने के पश्चात् नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि कुलाध्यक्ष, आपवादिक परिस्थितियों में स्व-प्रेरणा से कार्य कर सकते हैं या पूर्वगामी परन्तुक में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं।

43-संस्थान राज्य सरकार, राज्य/केन्द्रीय विनियामक निकायों को ऐसी रिपोर्ट, विवरणी, विवरण-पत्र और अन्य सूचनायें प्रस्तुत करेगा जिसकी अपेक्षा वह समय-समय पर करे।

विवरणी और सूचना

44-संस्थान एवं संस्थान के प्रशासन से सम्बन्धित समस्त संविदायें बोर्ड द्वारा की गयीं समझी जायेंगी और उनका निष्पादन निदेशक द्वारा किया जायेगा।

संविदाओं का निष्पादन

45-राज्य सरकार संस्थान के प्रयोग एवं प्रबन्धन हेतु भवन, भूमि अथवा अन्य किसी सम्पत्ति, चाहे स्थावर हो या जंगम, का अन्तरण ऐसी शर्तों पर और ऐसी परिसीमाओं के अन्तर्गत कर सकती है, जैसा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उचित समझे।

सम्पत्ति अन्तरण

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

46—संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी आकस्मिक रिक्तियों को इतनी शीघ्रता से जैसा सुविधाजनक हो, ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरा जायेगा जो उन सदस्यों जिनके स्थान रिक्त हुए हैं, को नियुक्त या नाम-निर्दिष्ट करता हो और किसी आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त या नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

रिक्तियों के कारण प्राधिकारियों/निकायों की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत व्यक्तियों को संरक्षण

47—संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थीं।

संस्थान के सदस्य एवं कर्मचारी जन सेवक होंगे

48—इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अन्तर्गत सदाशयता से किये गये अथवा किये जाने हेतु आशयित किसी कृत्य के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं होंगी।

49—संस्थान का प्रत्येक सदस्य एवं कर्मचारी जो इस अधिनियम या विनियमों या उसके अधीन दिये गये अथवा जारी आदेशों अथवा निर्देशों के अन्तर्गत कार्य कर रहा हो अथवा कार्य करने के लिए तात्पर्यित हो, को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थात् अन्तर्गत जन सेवक समझा जायेगा।

अभिलेख सिद्ध करने की रीति

50—(1) संस्थान के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही अथवा संकल्प या संस्थान के कब्जे के अन्य दस्तावेज अथवा संस्थान द्वारा यथा-विधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि इस प्रकार पदाभिहित निदेशक द्वारा प्रमाणित हो तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी वह प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जायेगी जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

(2) संस्थान के किसी कर्मचारी से किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें संस्थान एक पक्ष न हो, संस्थान का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुयें उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय तथा संव्यवहार को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दे।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

51—इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व कार्यरत सोसाइटी का बोर्ड एक वर्ष की अवधि तक अथवा जब तक संस्थान के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत नया बोर्ड गठित न हो जाये, जो भी पहले हो, कार्य करता रहेगा।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

52—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करके ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

उद्देश्य और कारण

डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की संकल्पना प्रारम्भ में संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुषंगी केन्द्र के रूप में अति-विशिष्ट तृतीयक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गयी थी। चिकित्सा सेवाओं में मात्रात्मक अभिवृद्धि हेतु इस संस्थान को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराया गया और वर्ष 2006 से यह एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है।

यह विनिश्चय किया गया है कि एक कानून बनाकर उक्त संस्थान को विश्वविद्यालय की प्रास्थिति प्रदान करने के लिए व्यवस्था की जाये जिससे चिकित्सा, परा-चिकित्सा एवं अनुप्रयुक्त स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा एवं शोध की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अध्यापन और शोध केन्द्र के रूप में इसे अधिक दक्षतापूर्वक कार्य करने

हेतु समर्थ बनाने की व्यवस्था की जा सके तथा समाज और राष्ट्र की सेवा करने के लिये बेहतर कार्य-क्षेत्र और अवसर का लाभ उठाया जा सके।

तदनुसार डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1889 (2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)-27-2015

Dated Lucknow, September 12, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Dr. Ram Manohar Lohia Ayurvigyan Sansthan Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 41 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 12, 2018.

DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

ACT, 2015

(U.P. ACT no. 41 OF 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature and again passed by the Legislature in pursuance of the proviso to Article 200 of the Constitution of India]

AN

ACT

to provide for the establishment of Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences at Lucknow in Uttar Pradesh and for matters connected therewith and incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. This Act may be called Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences Act, 2015.

Short title

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

Definitions

- (a) "Board" means the Board of Governors of the Institute;
- (b) "Director" means the Director of the Institute appointed under section 14;
- (c) "Employee" means any person appointed by the Institute and includes a teacher, a doctor or any other member of the staff of the Institute;
- (d) "Fund" means the Fund of the Institute maintained under section 28;
- (e) "Institute" means Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences established under section 3;
- (f) "Prescribed" means prescribed by regulations;
- (g) "President" means the President of the Institute referred to in section 12;
- (h) "Regulations" means the regulations of the Institute made under section 34;
- (i) "Secretary/Principal Secretary" means the Secretary or the Principal Secretary, as the case may be, of concerned department of Government of Uttar Pradesh dealing with the affairs of the Institute;
- (j) "Society" means Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences Society, Lucknow registered under the Societies Registration Act, 1860;

- (k) "Teacher or Faculty-member" means a Professor, Additional Professor, Associate Professor, Assistant Professor or a person employed or engaged by the Institute for imparting education or training or guiding or conducting research in the Institute and includes the Dean and the Director.

CHAPTER -II

THE INSTITUTE

Establishment
and
incorporation
of the
Institute

3. (1) There shall be established at Lucknow on the pattern of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi an Institute to be called Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Lucknow.

(2) The Institute shall be a body corporate and shall function as a University established under a State Act.

(3) On and from the date of commencement of this Act,—

(a) Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences Society at Lucknow shall be dissolved and all property-movable and immovable and rights, powers and privileges and liabilities and obligations of the Society shall stand transferred to and vested in the Institute;

(b) all references in any statutory instrument to the Society shall be construed as reference to the Institute;

(c) any deed or other document, whether made or executed before or after the commencement of this Act which contains any bequest, gift or trust in favour of the Society, shall be construed as the bequest, gift or trust to the Institute;

(d) Every person duly employed before the commencement of this Act and working as such just before the commencement of this Act in the Society shall become an employee of the Institute by the same tenure and upon the same conditions of service.

Institute open
to all classes
and creed

4. The Institute shall be open to all persons irrespective of sex, race, creed or class and it shall not be lawful for the Institute to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession or political opinion in order to entitle him to be appointed as a teacher of the Institute or to hold any other office therein or to be admitted as a student of the Institute, or to enjoy or exercise any privilege thereof :

Provided that reservation on the posts for recruitment of the employees and reservation of seats for admission in any course of study for the students, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens and other categories of candidates as specified by the State Government from time to time shall be regulated by the laws and orders of the State Government for the time being in force.

Composition
of the Institute

5. The Institute shall consist of,—

- | | |
|---|---------------------------------------|
| (a) the Governor of Uttar Pradesh Government ; | -Visitor (<i>ex-officio</i>) |
| (b) the Chief Secretary to the Government of Uttar Pradesh; | -President (<i>ex-officio</i>) |
| (c) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Medical Education Department; | -Vice-President (<i>ex-officio</i>) |
| (d) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Finance Department or his nominee; | -Member (<i>ex-officio</i>) |
| (e) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Planning Department or his nominee; | -Member (<i>ex-officio</i>) |
| (f) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Law Department or his nominee; | -Member (<i>ex-officio</i>) |

- | | |
|---|--|
| (g) the Director General, Medical Education & Training, Uttar Pradesh; | -Member (<i>ex-officio</i>) |
| (h) the Director; | -Member-Secretary
(<i>ex-officio</i>) |
| (i) the Dean of the Institute; | -Member (<i>ex-officio</i>) |
| (j) two persons having special knowledge or practical experience in the pursuit of Medical Sciences/ Heads of Medical Institutions to be nominated by the State Government; | -Members |
| (k) three representatives of medical faculties of the Indian Universities or the Institutes to be nominated by the President; | -Members |
| (l) one representative of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India; | -Member |
| (m) one representative of the Medical Council of India; | -Member |
| (n) one representative of the Indian Council for Medical Research; | -Member |
| (o) one representative of the Indian Nursing Council; | -Member |
| (p) two educationists of eminence to be nominated by the State Government; | -Members |
| (q) two senior-most heads of department by rotation every two years. | -Members |

6. (1) Subject to the provisions of the following sub-sections, the term of a member, other than an *ex-officio* member, shall be five years from the date of nomination.

Term of office and vacancies among members

(2) The term of office of a member nominated under section 5 shall come to an end as soon as he/she ceases to hold the office by virtue of which he/she is such a member.

(3) The term of office of an *ex-officio* member shall continue so long as he holds his/her office by virtue of which he is such a member.

(4) The term of office of a member nominated to fill a casual vacancy shall be for the remainder of the term of the member in whose place he is nominated.

(5) An outgoing member may be eligible for re-nomination.

(6) A member may resign his office by writing under his hand addressed to the Vice-President through the Member-Secretary, but he will continue in office until his resignation is accepted.

(7) The manner of filling vacancies amongst members shall be such, as may be prescribed.

7. (1) The Institute shall meet at such time and place, as the President may from time to time determine.

Meeting of the Institute

(2) The transactions of business in such meeting shall be in such manner as may be prescribed:

Provided that the Institute shall meet at least once in a year.

8. The objects of the Institute shall be,—

Objects of the Institute

- (a) to create a centre of excellence for providing medical care, educational and research facilities of high order in the field of medical sciences and specialities and super specialities and such others, as may emerge in future, including continuing medical education on the pattern of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi;

Powers and
functions of
the Institute

- (b) to provide for multi-purpose speciality and super speciality hospitals and trauma centres by upgrading the existing institutions, and to establish them as a centre of excellence and to provide treatment for patients therein;
- (c) to develop excellence in teaching and training at under-graduate, post-graduate, doctoral and post-doctoral medical education and research in super-specialities so as to set a high standard of medical education;
- (d) to develop training centres and facilities for paramedical human resource;
- (e) to establish specialized and individual departments to deal with emerging medical, surgical and allied specialities and sub-specialities.

9. (1) The powers and functions of the Institute shall be,—

- (a) to institute teaching and training in undergraduate, postgraduate and super-speciality branches of medicine and allied sciences and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge in such branches;
- (b) to institute and award degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
- (c) to admit students to the various courses of study and to conduct examinations or tests and lay down conditions in respect thereof;
- (d) to hold examinations for and to grant and confer degrees, diplomas and others academic distinctions to and on persons who-
 - (i) have pursued a course of study, or
 - (ii) have carried on research in the Institute.
- (e) to confer honorary degrees or other academic distinctions;
- (f) to institute and award scholarships, fellowships (including travelling fellowship) studentships, stipends, medals and prizes in accordance with the regulations;
- (g) to establish, maintain and administer centres of teaching and research, hospitals, rural and urban centres, laboratories, libraries or other things to carry out the objects of the Institute;
- (h) to fix and collect fees and other charges;
- (i) to create teaching, administrative, ministerial, technical and other necessary posts as required and make appointment thereto;
- (j) to undertake publication of works of merit and research;
- (k) to provide for management and treatment of the patients in its hospitals and centres;
- (l) to function as a secondary and tertiary hospital;
- (m) to deal with property belonging to, or vested in the Institute in any manner which is considered necessary for promoting its objects;
- (n) to co-operate or collaborate with other institutions in conduct of patient care, higher education and research in medical and paramedical field;
- (o) to do any other act or thing, as may be necessary in order to further the objects of the Institute:

Provided that the Institute-

- (i) will not transfer any immovable property of the Institute by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise except with the previous sanction of the State Government ;
- (ii) will not create any post in the Institute except with the prior approval of the State Government or except in accordance with any general or special order of the State Government.

(2) The pay and other allowances to various categories of employees of the Institute shall be such as may be determined from time to time by the State Government.

CHAPTER-III

OFFICERS OF THE INSTITUTE

10. The following shall be the officers of the Institute, namely,—

- (a) The Visitor;
- (b) The President of the Institute;
- (c) The Vice-President of the Institute;
- (d) The Director;
- (e) The Dean of the Institute;
- (f) The Finance Officer;
- (g) Such other officers as may be declared by the regulations.

Officers of the
Institute

11. (1) The Governor of Uttar Pradesh shall be the Visitor of the Institute.

Visitor

(2) The Visitor shall by virtue of his office, be the head of the Institute and shall, when present, preside at the convocation of the Institute.

(3) Every proposal for the conferment of an honorary degree or distinction shall be subject to the confirmation by the Visitor.

(4) The Visitor shall after every five years cause to be reviewed the progress of the Institute in such manner as he thinks fit.

(5) Upon reviewing progress of the Institute the Visitor may make a reference to the State Government for taking action under section 41 or may, subject to the provisions of this Act issue such directions as he considers necessary, and the Institute shall be bound to comply with such directions.

(6) Without prejudice to the foregoing provisions of the section but subject to the provisions of section 42, the Visitor may by order in writing annul any proceeding of the Institute which is not in conformity with this Act of the rules or regulation made thereunder :

Provided that before making any such order he shall call upon the Institute to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown within such reasonable time as may be allowed therefor, shall consider the same.

12. (1) The Chief Secretary of Uttar Pradesh shall be the President of the Institute and shall also be Chairman of the Governing Body. Meetings of the Institute shall be convened as per directions of the President.

Powers
of President

(2) The President shall preside over the meetings of the Institute.

(3) The powers and functions of the President shall be,—

- (a) to ensure that the administration of the affairs of the Institute are being conducted in accordance with the provisions of this Act and the regulations and to take such steps, as he deems fit;
- (b) to call for such information or records relating to the administration of the affairs of the Institute;
- (c) to include in the agenda at any time before or during a meeting, fresh items of business or items supplementary to those included in the agenda for consideration;
- (d) to exercise such other powers and perform such other functions, as may be prescribed.

(4) The President may delegate any of his powers to the Vice-President.

13. (1) The Principal Secretary, Medical Education to the Government of Uttar Pradesh shall be the *ex-officio* Vice-President of the Institute.

Vice-President

(2) In the absence of the President at any meeting of the Institute, the Vice-President shall preside over such meeting.

(3) He shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

Director

14. (1) The Director shall be appointed by the Visitor on the recommendation of a committee consisting of,—

- (a) President of the Institute;
- (b) Vice-President of the Institute;
- (c) the Director General Medical Education and Training; and
- (d) two experts in medical field, not below the rank of a head of medical institution or medical University to be nominated by the Visitor.

(2) (a) Only such person shall be eligible for the appointment to the office of the Director who has not attained the age of sixty-two years.

(b) The Director shall hold office for a term of five years from the date he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of sixty-five years whichever is earlier.

(c) The Director may be appointed for second term or until he/she attains the age of sixty-five years, whichever is earlier:

Provided that the Director may in writing under his hand addressed to the Visitor resign his/her office, and shall cease to hold his office on the acceptance thereof by the Visitor.

(3) The Committee shall, as far as may be, at least sixty days before the date on which a vacancy in the office of the Director is due to occur by reason of expiry of term or resignation under the proviso to clause (c) of sub-section (2) and also whenever so required and before such date as may be specified by the Visitor, submit to the Visitor the names of not less than three persons to hold the office of the Director. The Committee shall, while submitting the name, also forward to the Visitor a concise statement showing the qualifications of each of the persons so recommended but shall not indicate any order of preference.

(4) Where the Visitor does not consider any one or more of persons recommended by the Committee to be suitable for appointment as the Director or if one or more of the persons recommended is / are not available for appointment and the choice of the Director is restricted to less than three persons, he may require the committee to submit a list of fresh names in accordance with sub-section (3).

(5) No Act or proceeding of the committee shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members or by reason of some person having taken part in the proceeding who is subsequently found not to have been entitled to do so.

(6) In any of the following circumstance (of the existence of which the Visitor shall be the sole judge), he may appoint any suitable person to the office of the Director for a term not exceeding six months as he may specify:-

(a) Where the vacancy in the office of the Director occurs and it cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) to (5).

(b) Any other emergency.

(7) In the absence of the Director, the senior-most Professor of the Institute shall discharge the duties of the Director.

(8) Subject to the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of service of the Director shall be such as may be determined by the State Government by general or special order in that behalf.

(9) If in the opinion of the Visitor, the Director wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears that the continuance of the Director in office is detrimental to the interest of the Institute, the Visitor may, after making such inquiry, as he deems proper, by order remove the Director.

15. (1) The Director shall be the Principal Executive and Academic Officer of the Institute.

Powers and
functions of
the Director

(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1), the Director,—

(a) shall exercise general supervision and control over the affairs of the Institute;

(b) shall ensure implementation of the decisions of the authorities of the Institute;

(c) shall be responsible for imparting of instructions and maintenance of discipline in the Institute;

(d) may engage with the approval of the Board any person for a period not exceeding one year for such purpose as may be necessary in the interest of the Institute.

(3) Where any matter is of urgent nature requiring immediate action and the same cannot be immediately dealt with by any officer or authority of the Institute, empowered by or under this Act to deal with it, the Director may take such action, as he may deem fit and shall forthwith report the action taken by him to the Chairperson and also to the officer or authority who in the ordinary course, would have dealt with the matter:

Provided that if such officer or authority is of opinion that such action ought not to have been taken by the Director, it may refer the matter to the Chairperson who may either confirm the action taken by the Director or annul the same or modify it in such manner, as he thinks fit, and thereupon it shall cease to have effect or, as the case may be, shall take effect in the modified form:

Provided further that such annulment or modification, as is referred to in the preceding proviso shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Director.

(4) The Director shall exercise such other powers and perform such other functions as may be assigned to him by the Institute or the Chairperson or the Board or any other authority.

(5) The Director shall be responsible to conduct and manage all matters relating to the Institute.

16. (1) There shall be a Dean of the Institute, who shall be appointed by the Board from amongst the senior Professors of the Institute and shall hold office for three years and may be eligible for re-appointment.

The Dean

(2) The Dean shall assist the Director in academic affairs of the Institute and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

17. (1) There shall be a Finance Officer for the Institute, who shall be appointed by the State Government in Finance Department, and his remuneration and allowances shall be paid by the Institute;

Finance Officer

(2) The Finance Officer shall be responsible for presenting the budget and the statement of accounts to the Board and also for drawing and disbursing funds on behalf of the Institute.

(3) The Finance Officer shall have the duties—

(a) to ensure that no expenditure is incurred by the Institute which has not been authorised in the budget;

(b) to disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or regulations;

(c) to ensure that no financial irregularity is committed and to take steps to set-right any irregularity pointed out during audit or appeared otherwise;

(d) to ensure that the property and investments of the Institute are duly preserved and managed;

(e) to perform such other functions as may be prescribed.

(4) The Finance Officer shall have access to and may require the production of such records and documents of the Institute and the furnishing of such information pertaining to its affairs, as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.

(5) Other powers and functions of the Finance Officer shall be such as may be prescribed.

CHAPTER-IV

AUTHORITIES OF THE INSTITUTE

Authorities of
the Institute

18. The following shall be the authorities of the Institute, namely—

- (a) Board of Governors;
- (b) Academic Council;
- (c) Finance Committee;
- (d) Ethics Committee;
- (e) Admissions Committee;
- (f) Examinations Committee;
- (g) Selection Committee;
- (h) such other authorities as may be declared by regulations to be the authorities of the Institute.

Board of
Governors

19. (1) The Board of Governors shall be the principal governing body of the Institute and shall consist of,—

- | | |
|--|--|
| (a) the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh; | Chairperson (<i>ex-officio</i>) |
| (b) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Medical Education Department; | Vice-Chairperson (<i>ex-officio</i>) |
| (c) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Finance Department; | Member (<i>ex-officio</i>) |
| (d) the Director General, Medical Education and Training, Uttar Pradesh; | Member (<i>ex-officio</i>) |
| (e) the Director General, Medical and Health, Uttar Pradesh; | Member (<i>ex-officio</i>) |
| (f) the Director | Member-Secretary (<i>ex-officio</i>) |
| (g) the Dean of the Institute | Member (<i>ex-officio</i>) |
| (h) the Chief Medical Superintendent | Member (<i>ex-officio</i>) |
| (i) two persons of eminence in the field of medicine not less than Heads of Institute in the State or out-side the State nominated by the Visitor; | Member |
| (j) two persons being Professors and Heads of the Department at the Institute to be nominated by the Director in order of seniority by rotation. | Member |

(2) The term of office of an *ex-officio* member shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is a member.

(3) The term of office of a member nominated under clauses (i) and (j), shall be two years from the date of his nomination.

(4) The term of office of a member nominated to fill a casual vacancy shall continue for the remainder of the term of the member in whose place he has been nominated.

(5) The Board shall meet at least once in three months at such time and place as the Chairperson may from time to time determine.

(6) The procedure to be followed by the Board for the transaction of business in any meeting or otherwise or in the exercise of its powers or performance of its functions shall be such as may be prescribed.

(7) Subject to such control and restrictions as may be prescribed, the Board may constitute such committees, as it thinks fit, for exercising any power or performing any function under this Act.

20. (1) Save as otherwise provided in this Act, the Board shall be responsible for the general superintendence, direction and control of the affairs of the Institute.

Functions of the Board

- (2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Board,—
- (a) shall take steps for the implementation of the decisions of the Institute on matters of policy relating to the administration of the affairs and working of the Institute;
 - (b) shall institute courses of study at the Institute and take decisions on the advice of the Academic Council on all academic matters including matters relating to the examinations conducted by the Institute;
 - (c) shall hold and control the property and funds of the Institute;
 - (d) may acquire any movable or immovable property on behalf of the Institute;
 - (e) shall administer any fund placed at the disposal of the Institute for specific purposes;
 - (f) may create or abolish posts of teachers and other employees of the Institute;
 - (g) may manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the Institute and for that purpose, appoint such agent as it may think fit;
 - (h) may invest any money belonging to the Institute (including any income from endowed property) in such stocks, funds, shares or securities as it, from time to time, thinks fit;
 - (i) may enter into, vary, carry-out and cancel contracts on behalf of the Institute;
 - (j) may make other decisions in the interest of the Institute on the matters not inconsistent with the provisions of this Act or the regulations made thereunder.

21. (1) The Academic Council shall consist of,—

Academic Council

- (i) the Director - Chairperson
 - (ii) the Dean of the Institute - Member-Secretary
 - (iii) all Heads of teaching departments - Members
- (2) The Academic Council shall perform the following functions :-
- (a) to prepare and to recommend changes in curricula and syllabi for the courses of study for the various departments;
 - (b) to make arrangement for the conduct of examinations;
 - (c) to appoint Advisory Committees or Expert Committees or both for the department to make recommendations on academic matters in connection with the working of the departments and the concerned Head of the Department shall act as the convener of such committee;
 - (d) to appoint sub-committees from amongst the members of the Academic Council, other teachers of the Institute and experts from outside on such specific matters as may be referred to such sub-committee by the Academic Council;
 - (e) to consider the recommendations of the advisory Committee, Expert Committee or other sub-committees and take such action as circumstances of each case may require including making of suitable recommendations to the Board;
 - (f) to make periodical review of the activities of the departments and if necessary, make suitable recommendations to the Board;

- (g) to advise on the working of library, laboratories and the hospitals *etc.*;
- (h) to promote research within the Institute and require reports on such research from the persons engaged thereon;
- (i) to advise on general policy to be followed in respect of consultation work to be done by academic staff;
- (j) to provide for the inspection of classes, laboratories, library and disciplines therein and submit reports thereof to the Board;
- (k) to award stipends, fellowships, scholarships free-ships, medals and prizes *etc.* according to the conditions attached to the awards.

(3) The Academic Council shall meet as often as necessary but not less than two times during a calendar year.

(4) Meeting of the Academic Council shall be convened by the Member-Secretary of the Council either on his own imitative or on the direction of the Director or on a requisition signed by not less than five members of the Academic Council.

(5) Half of the total number of the members of the Academic Council shall form the quorum.

(6) A written notice of every meeting together with the agenda shall be circulated by the Member-Secretary to the members of the Academic Council at least one week before the meeting. The Chairperson of the Academic Council may permit inclusion of any item on the agenda for which due notice could not be given.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), the Chairperson may call an emergent meeting of the Academic Council at short notice to consider urgent or special issues.

(8) The decision of the Chairperson of the Academic Council in regard to all matters shall be final.

(9) The minutes of the Academic Council shall be drawn up by the Member-Secretary and circulated amongst all members present in meeting.

Finance
Committee

22. (1) The Finance Committee shall consist of,-

- (a) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Medical Education Department; - Chairperson
- (b) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Finance Department, or his nominee not below the rank of the Special Secretary; - Member
- (c) the Director; - Member
- (d) the Chief Medical Superintendent of the Institute; - Member
- (e) the Finance Officer - Member Secretary

(2) The Finance Committee shall advise the Board on matters relating to the administration of property and funds of the Institute including limits for the principles to be observed with regard to the recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year, having regard to the income and resources of the Institute.

(3) The Finance Committee shall have such other powers and functions as may be prescribed.

Ethics
Committee

23. (1) There shall be an Ethics Committee for ensuring smooth running and proper patient-care in the Institute, associated hospitals and health centres.

(2) The constitution of the Ethics Committee, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

Other
Authorities

24. The constitution, powers and functions of the Admissions Committee, Examinations Committee and other authorities of the Institute shall be such as may be prescribed.

CHAPTER-V

STAFF OF INSTITUTE

25. (1) The Institute shall appoint such number of employees against the posts as may be sanctioned by the State Government from time to time. The terms and conditions of service of the employees of the Institute shall be such as may be provided in the regulations.

Staff of Institute

(2) In the interest of the Institute, eligible Government servants may be appointed on deputation basis or by transfer of service as per Government norms and conditions.

(3) The Board may, from time to time, create or abolish posts as it considers proper, subject to approval of the State Government. However, parity will be maintained with All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

26. (1) Subject to the provisions of this Act, such number of Professors, Associate Professors, Assistant Professors and Group 'A' Officers, as may be necessary, shall be appointed by the Chairperson, and such number of Group 'B' Officers and other employees, as may be necessary, shall be appointed by the Director.

Appointment and promotion of teachers and other staff

(2) Save as otherwise provided in sub-section (1) the officers, teachers and other employees of the Institute shall be appointed in such manner and with such designations and grades as may be prescribed.

(3) The employees of the Institute appointed under this Act shall be entitled to such salary and allowances and shall be governed by such conditions of service as may be prescribed.

(4) No person shall be appointed as a teacher of the Institute, unless he/she fulfils the qualifications prescribed by the Medical Council of India, the Indian Nursing Council or any other Central/State Regulatory Body and the regulations made under this Act, as the case may be and recommended by a Selection Committee constituted in this behalf under this Act.

(5) (a) The Selection Committee for the appointment or promotion to a Professor and an Associate Professor of the Institute shall consist of, –

- (i) the Director who shall be the Chairperson of the Selection Committee;
- (ii) the Director General, Medical Education and Training, Uttar Pradesh;
- (iii) the Dean of the Institute;
- (iv) three experts to be nominated by the President;
- (v) such other persons as may be prescribed.

(b) The Selection Committee for the appointment or promotion to an Assistant Professor and other teachers of the Institute shall consist of, –

- (i) the Director who shall be the Chairperson of the Selection Committee;
- (ii) the Director General, Medical Education and Training, Uttar Pradesh;
- (iii) the Dean of the Institute;
- (iv) Head of the Department concerned;
- (v) two experts nominated by the President;
- (vi) such other persons as may be prescribed.

(6) The Selection Committee constituted under this section shall follow such procedures as may be prescribed.

(7) No recommendations made by the Selection Committee shall be considered to be valid, unless it is supported by a majority of the members present:

Provided that in the case of Selection Committee constituted under clause (a) of sub-section (5), the presence of at least two experts, and in the case of a Selection Committee constituted under clause (b) of sub-section (5), the presence of at least one expert shall be necessary.

(8) Where the Selection Committee fails to make recommendation in accordance with the provisions of sub-section (7), the minutes of the Selection

Committee shall be submitted to the President who shall forward the same, along with his/her views thereon, to the President for decision and the decision of the President shall be final.

(9) Where the recommendations of the Selection Committee are not acceptable to the appointing authority, it shall refer the whole case to the President specifying the grounds of objection to such recommendations in precise terms, and the decision of the President thereon shall be final:

Provided that it shall be lawful for the President to refer the case to the Selection Committee for reconsideration or to require another Selection Committee to be constituted for consideration of the case.

Explanation-For the purpose of this section, Group 'A' Officers and Group 'B' Officers shall be such class of officers as are specified or designated as such in the regulations.

CHAPTER-VI

FINANCE AND AUDIT

Grant-in-aid by
State

27. For the purpose of enabling the Institute to perform its functions efficiently under this Act, the State Government may, after due appropriation made by State Legislature by law in this behalf, pay to the Institute in each financial year such sums of money in such manner as it may think fit.

Fund of the Institute

28. (1) The Institute shall maintain a fund to which shall be credited:-

- (a) all moneys provided by the State Government;
- (b) all fees and other charges received by the Institute;
- (c) all moneys received by the Institute in any other manner or from any other source.

(2) All moneys credited to the Fund shall be deposited in Nationalized Banks and invested in such manner as the Institute may, with the approval of the State Government, decide.

(3) The fund shall be applied towards meeting the expenses of the Institute including expenses incurred in the exercise of its powers and performance of its functions under section 9.

Budget of the
Institute

29. (1) There shall be prepared in such form and at such time, every year as may be prescribed, a budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditure of the Institute and the same shall be forwarded to the State Government in such manner as may be prescribed.

(2) The Board shall comply with such directions as may be given by the State Government and approve the budget finally.

(3) It shall not be lawful for the Institute to incur any expenditure not sanctioned in the budget or in the case of funds granted to the Institute, subsequent to the sanction of budget by the State Government or the Government of India, or any international organisation or foundation or any other agency save in accordance with the terms of such grant:

Provided that funds from sources other than that of the Government of India and of the State Government will be received by the Institute only after obtaining the necessary clearances, as required under the law:

Provided further that in the case of sudden or unforeseen circumstances, non-recurring expenditure not exceeding rupees twenty-five thousand not sanctioned in the budget may be incurred by the Director who shall immediately inform the State Government in respect of all such expenditure.

Annual Accounts
and Balance- Sheet

30. (1) The Institute shall maintain proper accounts and other relevant records and shall cause to be prepared an annual statement of accounts including the Balance-Sheet in such form as may be specified by the State Government by general or special order in this behalf.

(2) A copy of the Annual Statement of Accounts and the Balance-Sheet shall be submitted to the State Government which shall cause the same to be audited.

31. The Institute shall, as soon as may be, after the end of each financial year prepare the Annual Report and submit it to the State Government, before such date as may be prescribed and copy of such report shall be laid before both Houses of the State Legislature.

Annual Report

32. The Institute shall constitute provident funds and retiral benefits *etc.* for the benefit of its employees, in such manner and subject to such conditions, as per the orders of the State Government.

Provident Fund
and retiral benefits

33. (1) A member of the Institute, the Board, any authority or other body of the Institute, as the case may be, or an officer, other employees of the Institute shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the Institute, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his/her neglect or misconduct.

Surcharge

(2) The procedure of imposing surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed.

CHAPTER-VII

REGULATIONS

34. (1) Subject to the provisions of this Act, the Institute may, with the previous approval of the State Government, make regulations to provide for any matter which is to be or may be provided for by regulations and without prejudice to the generality of this power, such regulations may provide for, namely :-

Power to make
regulations

- (a) the convening and holding of meetings, other than the first meeting, of the Institute, the conduct of the business at such meetings and the number of members necessary to form a quorum ;
- (b) any matter in respect of the constitution of the Board or any Committee or other body to be constituted under this Act;
- (c) the powers and functions to be exercised and discharged by the President and the Vice-President, other officers of the Institute;
- (d) the allowance, if any, to be paid to the Chairperson and the member of the Board and of any Committee or other bodies constituted under this Act;
- (e) the procedure to be followed by the Board or other authorities or other bodies constituted under this Act in the conduct of their business, exercise of their powers and discharge of their functions;
- (f) the tenure of office, salaries and allowances and other conditions of service of the officers, teachers and employees of the Institute;
- (g) the powers and duties of the Director and other officers and employees of the Institute;
- (h) the management of the properties of the Institute;
- (i) the degrees, diplomas and other academic distinctions and titles which may be granted by the Institute;
- (j) the creation of the posts of teachers, officers and employees of the Institute, and the appointment of persons to such posts including the minimum qualifications requisite thereto;
- (k) the fees and other charges which may be demanded and received by the Institute;
- (l) the manner in which, and the conditions subject to which, provident funds and other retirement benefits may be constituted for the employees of the Institute;

any other matter for which provisions may be made under this Act or by regulations.

(2) The first regulations under this Act, shall be made by the State Government by notification:

Provided that until the regulations are so made, the provisions of the BYE-LAWS of the Society as in force before the commencement of this Act, as well as the regulations of the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow in matters where the BYE-LAWS are silent, shall *mutatis mutandis* continue to apply to the Institute in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act.

(3) The Board may make new or additional regulations or may amend or repeal the regulations referred to in sub-section (2) with prior approval of the Institute.

CHAPTER-VIII

MISCELLANEOUS

Authentication of orders and Instruments

35. All orders and decisions of the Institute shall be authenticated by the signature of the Director or any other officer authorised by the Institute in this behalf and proceeding of the meetings of concerned authority or committee or other bodies of the Institute shall be authenticated by the signatures of the Chairperson and the Member-Secretary thereof.

Acts and proceedings not to be invalidated by vacancies etc.

36. No act done or proceeding taken by the Institute or any committee constituted under this Act, shall be questioned on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Institute or authority or any committee.

Grant of degrees, diplomas etc.

37. The Institute shall have powers to grant degrees, diplomas and other academic distinctions and titles under this Act.

Withdrawal of degree or diploma

38. The Board may, on the recommendation of the Academic Council, withdraw any distinction, degree, diploma or privilege conferred on, or granted to, any person, by a resolution passed by the majority of the members of the Board present and voting at the meeting, if such person has been convicted by a Court of law for an offence which in the opinion of the Board, involves moral turpitude or if he has been guilty of gross misconduct.

Recognition of Medical Qualifications granted by the Institute

39. Subject to the provisions of the Indian Medical Council Act, 1956 and other laws for the time being in force, degrees, diplomas and other distinctions granted by the Institute shall be recognised qualifications for the purposes of the said Act and other laws.

Power of State Government to issue directions

40. The State Government may issue such directions from time to time to the Institute on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act, as it may deem necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act. Such directions shall be complied with by the Institute.

Power of the State Government to cause inspection

41. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made, by such person or persons as it may direct, of the Institute including its building, libraries, laboratories, workshops and equipment and also of the examinations, teaching and any other work conducted or done by the Institute or to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the Institute.

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the Institute of the same through the Director and any person nominated by the Board may be present at such inspection or inquiry as representative of the Institute and he shall have the right to be heard as such.

(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the

attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and the proceeding before him shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

(4) The State Government shall address the Director with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Director shall communicate to the Board the view of the State Government together with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(5) The Director shall submit a report to the State Government of the action taken or proposed to be taken within such time, it may fix.

(6) If an authority of the Institute do not take action to the satisfaction of the State Government within a reasonable time, may after considering any explanation which such authority may furnish, issue such directions as it may think fit, and the authority shall comply with such directions.

(7) The State Government shall send to the President a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Director under sub-section (5) and of every direction issued under sub-section (6) and also of every report for information received in respect of compliance or non-compliance with such direction.

42. If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as or is entitled to be, a member of the Institute, Governing Body, any authority or other body of the Institute or not, or whether any decision of the Institutes, Governing Body or any authority or other body of the Institute is in conformity with this Act or the rules or regulations made thereunder or not, the matter shall be referred to the Visitor and the decision of the Visitor shall be final:

Reference to the
Visitor

Provided that no reference made under this section shall be made more than three months after the date when the question could have been raised for the first time:

Provided further that the Visitor may, in exceptional circumstances, act *suomoto* or entertain a reference after the expiry of the period mentioned in the preceding proviso.

43. The Institute shall furnish to the State Government, State/Central Regulatory Bodies such reports, returns, statements and other information as may be required from time to time by them.

Returns and
Information

44. All contracts relating to the Institute and administration of the Institute shall be expressed as made by the Board and shall be executed by the Director.

Execution of
contracts

45. The State Government may transfer to the Institute building, lands and any property whether movable or immovable for use and management of the Institute on such conditions and subject to such limitations as the State Government may deem fit for the purpose of this Act.

Transfer of
Property

46. All the casual vacancies among the members (other than *ex-officio* members) of any authority or other body of the Institute shall be filled, as soon as may be convenient, by the person or body who appoints or nominates the members whose place has become vacant and any person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills, would have been a member.

Filling of casual
vacancies

Proceeding of the authorities/bodies not invalidated by vacancies

47. No act or proceeding of any authority or other body of the Institute shall be invalidated merely by reason of the existence of any vacancy or vacancies among its members.

Protection of persons acting under this Act

48. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the regulations made there under.

Members and Employees of the Institute to be public servants

49. Every member and employee of the Institute, when acting are purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or regulations or orders or directions made or issued there under shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

Mode of proof of the record

50. (1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the Institute, or other documents in the possession of the Institute or any entry in any register duly maintained by the Institute, if certified by the Director so designated shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be admitted as *prima-facie* evidence of the matters and transactions specified therein, where the original thereof would, if produced, have been admission in evidence.

(2) No employee of the Institute shall in any proceeding to which the Institute is not a party, be required to produce any document, register or other record of the Institute, the contents of which can be proved under sub-section (1) by a certified copy, or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the Court made for special cause.

Transitional provisions

51. Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, the Board of the Society functioning as such before the commencement of this Act shall continue to function for a period of one year or until a new Board is constituted for the Institute under this Act, whichever is earlier.

Power to remove difficulties

52. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Lucknow was initially conceptualized as a satellite centre of the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences to make available the super-speciality tertiary medical care. To provide quantum upgradation to the medical services, the Institute was registered under the Societies Registration Act, 1860 and it is functioning as an autonomous institution since 2006.

It has been decided to make a law to provide for conferring on the said Institution, the status of a University so as to provide it to function more efficiently as a teaching and research centre to meet the requirement of higher education and research in pursuit of medical, para-medical and allied health services and to avail better scopes and opportunities to serve the society and the nation.

Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences Bill, 2015 is introduced accordingly.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 260 राजपत्र-(हिन्दी)-2018-(694)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 90 सा० विधायी-2018-(695)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।